REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



EXTRAORDINARY भाग ॥—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित DUBLISHED BY AUTHORITY

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 672] No. 672] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 11, 2012/चैत्र 22, 1934 NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 11, 2012/CHAITRA 22, 1934

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2012

का.आ. 804(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधिनियम कंपनियों या कंपनियों के वर्ग द्वारा अंगीकृत किए जाने हेतु नीतियों और लेखा मानक बनाने और अधिकथित करने के संबंध में केंद्रीय सरकार को सलाह देने के लिए इस अधिनियम के प्रकाशन की तारीख से 28 फरवरी, 2013 तक के लिए लेखा मानकों से संबंधित राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात :---

(1)	श्री एम.एम.चितेल, चार्टर्ड अकाउंटेंट	अध्यक्ष, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(2)	अध्यक्ष, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(3)	अध्यक्ष, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(4)	अध्यक्ष, भारतीय लागत तथा संकर्म लेखापाल संस्थान	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

.

[Part II—Sec. 3(ii)]

		
(5)	श्री पी.आर.रवि मोहन, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामनिर्देशिती	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(6)	श्री गौतम गुहा, महानिदेशक (वाणिज्य), भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का नामनिर्देशिती	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ड) क़े अधीन नामनिर्दिष्ट]
(7)	भारतीय प्रबंधन संरथान कोलकाता का नामनिर्देशिती	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(8)	श्री सुनील गुप्ता, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नामनिर्देशिती	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (छ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(9)	श्री अशोक हल्दिया, एसोसिएटेड चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया का नामनिर्देशिती	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(10)	श्री एस. संथानकृष्णन, भारतीय उद्योग परिसंघ के नामनिर्देशिती	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (झ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(11)	श्रीमती ऊषा नारायणन, कार्यकारी निदेशक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नामनिर्देशिती	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ञ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(12)	श्रीमती रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

	विशेष आमंत्रित	
(13)	श्री जी. रामास्वामी, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई	[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
(14)	श्री सुरेश सेनापति, सीएफओ, विप्रो	[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

[फा. सं. 1/5/2001-सीएल-V] रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

2

,

į

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April. 2012

S.O. 804(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 210A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby constitutes the National Advisory Committee on Accounting Standards, for a period up to the 28^{th} February, 2013 with effect from the date of publication of this notification, consisting of the following persons to advise the Central Government on the formulation and laying down of accounting policies and accounting standards for adoption by companies or class of companies under the said Act, namely:-

(1)	Shri M. M. Chitale,	Chairperson, [nominated under clause (a) of sub-
	Chartered Accountant	section (2) of section 210A]
(2)	The President, of the Institute of	Member, [nominated under clause (b) of sub-
	Chartered Accountants of India	section (2) of section 210A]
(3)	The President of the Institute of	Member, [nominated under clause (b) of sub-
	Company Secretaries of India	section (2) of section 210A]
(4)	The President of the Institute of Cost	Member, [nominated under clause (b) of sub-
	and Works Accountants of India	section (2) of section 210A]
(5)	Shri. P.R. Ravi Mohan, Chief General	Member, [nominated under clause (d) of sub-
	Manager, Nominee of Reserve Bank of	section (2) of section 210A]
	India	
(6)	Shri Gautam Guha, Director General	Member, [nominated under clause (e) of sub-
	(Commercial), Nominee of the	section (2) of section 210A]
	Comptroller and Auditor-General of	
	India	
(7)	Nominee of the Indian Institute of	Member, [nominated under clause (f) of sub-
	Management, Kolkata.	section (2) of section 210A]
(8)	Shri Sunil Gupta, Joint Secretary,	Member, [nominated under clause (g) of sub-
	Ministry of Finance, Nominee of the	section (2) of section 210A]
	Central Board of Direct Taxes	
(9)	Shri. Ashok Haldia, Nominee of the	Member, [nominated under clause (h) of sub-
	Associated Chambers of Commerce	section (2) of section 210A]
	and Industry of India	
(10)	Shri S Santhanakrishnan, Nominee	Member, [nominated under clause (h) of sub-
	of the Confederation of Indian	section (2) of section 210A]
	Industry	

3

(11)	Smt. Usha Narayanan, Executive Director, Securities & Exchange Board of India	Member, [nominated under clause (i) of sub- section (2) of section 210A]
(12)	Smt. Renuka Kumar, Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs	Member, [nominated under clause (c) of sub- section (2) of section 210A].

	Special Invitee	
(13)	Shri G. Ramaswamy, Ex-President, ICA	[nominated under clause (c) of sub-section (2) of section 210A].
(14)	Shri Suresh Senapati, CFO, Wipro	[nominated under clause (c) of sub-section (2) of section 210A].

[F. No.1/5/2001-CL.V] RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri. New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

4